

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: /नि०हो०/628/2026-27,

दिनांक: 30 जून, 2026

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों तथा निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2026-27, दिनांक 31 मार्च, 2026 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-261/नि०हो०/628/2026-27, दिनांक 24 जून, 2026 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० दीपा आर्या	रा०हो०चि०, बगुलियां, ऊधमसिंह नगर।	रा०हो०चि०, भिकियासैंण, अल्मोड़ा।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2026 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: 276 /नि०हो०/628/2026-27, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/अल्मोड़ा।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर/अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर/अल्मोड़ा।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: /नि0हो0/628/2026-27,

दिनांक: 30 जून, 2026

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों तथा निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि0हो0/628/2026-27, दिनांक 31 मार्च, 2026 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-261/नि0हो0/628/2026-27, दिनांक 24 जून, 2026 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा0 बीरेन्द्र रावत	रा0हो0चि0, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।	रा0हो0चि0, ओडाडा, टिहरी गढ़वाल।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2026 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा0 जे0एल0 फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: 277 /नि0हो0/628/2026-27, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा0 जे0एल0 फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: / नि०हो० / 628 / 2026-27,

दिनांक: 30 जून, 2026

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों तथा निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2026-27, दिनांक 31 मार्च, 2026 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-261/नि०हो०/628/2026-27, दिनांक 24 जून, 2026 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० बीना टम्टा	रा०हो०चि०, भिकियासैण, अल्मोड़ा।	रा०हो०चि०, खीडा, अल्मोड़ा।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2026 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: 278 / नि०हो० / 628 / 2026-27, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: /नि०हो०/628/2026-27,

दिनांक: 3 जून, 2026

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों तथा निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2026-27, दिनांक 31 मार्च, 2026 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-261/नि०हो०/628/2026-27, दिनांक 24 जून, 2026 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० दीपा देवी	रा०हो०चि०, गौचर, चमोली।	रा०हो०चि०, व्यासघाट, पौड़ी गढ़वाल।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पान्त्रता पूर्ण करने पर।	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2026 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: 279/नि०हो०/628/2026-27, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चमोली/पौड़ी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चमोली/पौड़ी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/पौड़ी गढ़वाल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चमोली।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: /नि०हो०/628/2026-27,

दिनांक: 30 जून, 2026

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों तथा निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2026-27, दिनांक 31 मार्च, 2026 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-261/नि०हो०/628/2026-27, दिनांक 24 जून, 2026 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० हेमलता गोस्वामी	रा०हो०चि०, भण्डारीसेरा, बागेश्वर।	रा०हो०चि०, संग्रोली, अल्मोड़ा।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2026 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: 280 /नि०हो०/628/2026-27, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर/अल्मोड़ा।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/अल्मोड़ा।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: /नि०हो०/628/2026-27,

दिनांक 30 जून, 2026

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों तथा निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2026-27, दिनांक 31 मार्च, 2026 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-261/नि०हो०/628/2026-27, दिनांक 24 जून, 2026 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० हरप्रत कौर	रा०हो०चि०, बेतालघाट, नैनीताल।	रा०हो०चि०, भक्तोवाली, हरिद्वार।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2026 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: 281 / नि०हो०/628/2026-27, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड
देहरादून।**

पत्रांक: /नि०हो०/628/2026-27,

दिनांक: 30 जून, 2026

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई, 2023, शासनादेश संख्या-282747/XXX(2)/2025-E 20912 दिनांक 17 मार्च, 2025 एवं शासनादेश संख्या-1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों तथा निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1486/नि०हो०/628/2026-27, दिनांक 31 मार्च, 2026 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-261/नि०हो०/628/2026-27, दिनांक 24 जून, 2026 के द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० नवीन सिंह पांगती	रा०हो०चि०, संग्रोली, अल्मोड़ा।	रा०हो०चि०, जिला चि०, नैनीताल।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर।	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2026 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक,

पत्रांक: 262 /नि०हो०/628/2026-27, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/नैनीताल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाइल/सम्बन्धित पत्रावली।

(डा० जे०एल० फिरमाल)
निदेशक।